न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट ईन्दपुर)

पीठासीन अधिकारी : श्री बालकृष्ण तिवाडी आरएएस

दावा	तारीख रजू	तारीख निर्णय
1 / 156	04.09.2017	21.06.2018

उनवान

1. परभाती पुत्र घुटमल
2. रामदेई पत्नी गुलाब
3. सोनू पुत्र गुलाब
4. विनित पुत्र गुलाब
5. आरती पुत्री गुलाब
6. पूजा पुत्री गुलाब समस्त नाबालिग जर्ये खुद माता रामदेई पत्नी गुलाब जातियान जाटव निवासियान ग्राम सिरमौर तहसील रामगढ जिला अलवर।

.....वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब बहैसियत लैण्ड होल्डर तह0 रामगढ (अलवर)।

..... प्रतिवादी

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट)

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. .श्री सियाराम गुर्जर एडवोकेट– वादी
2. पैरोकार राजस्थान सरकार – प्रतिवादीगण

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 104 रकबा 0.24, 105 रकबा 0.34, 306 रकबा 0.12, 307 रकबा 0.13 किता 4 रकबा 0.83 हैक्ट0 सम्पूर्ण व ख0 नं0 128 रकबा 0.21, 129 रकबा 0.27, 130 रकबा 0.26, 131 रकबा 0.26 हैक्ट0 किता 4 रकबा 1.00 हैक्ट0 का 1/2 हिस्सा जिनके सम्वत 2058 में साबिक खसरा नम्बर 72 मिन रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, 202 मिन रकबा 1 बीघा, 92 मिन रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा व सेटलमेन्ट सम्वत 2020 में साबिक खसरा नम्बर 208 मिन 18 बिस्वा, 214 मिन रकबा 2 बिस्वा, 89 मिन 1 बिस्वा, 91 मिन रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, 112 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम सिरमौर तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित है। जो आराजी विवादित है। उक्त विवादित आराजी वादीगण के पिता व दादा घुटमल के नाम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से पूर्व से गैर खातेदारी की आराजी दर्ज रिकार्ड है वादीगण के पिता व दादा का स्वर्गवास हो चुका है। जिसके फुट स्टेप पर वादीगण उपरोक्त आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है तथा अपने पिता व दादा के जीवनकाल से ही वादीगण का उपरोक्त आराजी पर बदस्तूर कब्जा चला आ रहा है। हाल राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी वादीगण के नाम गैर खातेदारी में दर्ज है। तथा मौके पर वादीगण का कब्जा काश्त है। उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में जमाबन्दी सम्वत 2012 में वादीगण के पिता व दादा घुटमाली पुत्र नत्थु जाति चमार के नाम गैर मौरूसी साल 11 दर्ज है उसके बाद समस्त हाल राजस्व रिकार्ड में पूर्व में पिता व दादा घुटमाली के नाम व उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी विरासत इन्तकाल से उक्त आराजी हम वादीगण के नाम गैरखातेदारी में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादीगण का अपने पिता व दादा के जीवनकाल करीब 50–60 सालों से गैरखातेदारी सम्वत 2012 में दर्ज होने व उसकी मृत्यु के पश्चात उक्त आराजी

का विरासत इन्तकाल वादीगण के नाम दर्ज होने के कारण व उक्त आराजी वादीगण की कब्जे काश्त गैरखातेदारी की आराजी होने के कारण व साबिक रिकार्ड के अनुसार उक्त आराजी की खातेदारी अपने नाम प्राप्त करने के कानूनन अधिकारी है।

अतः प्रार्थना है कि वाद वादीगण विरूद्ध असल प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री सादिर फरमाई जावे कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 104 रकबा 0.24, 105 रकबा 0.34, 306 रकबा 0.12, 307 रकबा 0.13 किता 4 रकबा 0.83 हैक्ट0 सम्पूर्ण व ख0 नं0 128 रकबा 0.21, 129 रकबा 0.27, 130 रकबा 0.26, 131 रकबा 0.26 हैक्ट0 किता 4 रकबा 1.00 हैक्ट0 का 1/2 हिस्सा वाके ग्राम सिरमौर तहसील रामगढ जिला अलवर का वादीगण को हाल राजस्व रिकार्ड में हाल खसरा नम्बर 104 रकबा 0.24, 105 रकबा 0.34, 306 रकबा 0.12, 307 रकबा 0.13 किता 4 रकबा 0.83 हैक्ट0 सम्पूर्ण में से वादी सं0 1 को 1/2 हिस्सा व वादी सं0 2 ला0 6 को 1/2 हिस्सा व खससरा नम्बर 128 रकबा 0.21, 129 रकबा 0.27, 130 रकबा 0.26, 131 रकबा 0.26 हैक्ट0 किता 4 रकबा 1.00 हैक्ट0 का 1/2 हिस्सा में से वादी सं0 1 को 1/4 हिस्सा व वादी सं0 2 ला0 6 को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से न्यायालय में उपस्थित होकर दावे का जवाब प्रस्तुत किया जिसका विवरण इस प्रकार है कि जमाबन्दी सम्वत 2012 के कॉलम सं0 3 व 4 में भूमि मुस्लिम समुदाय के नाम दर्ज होने से कस्टोडियन की प्रतीत होती है। जो उनके छोडकर चले जाने पर वादीगण के पिता व दादा द्वारा कब्जे में ले ली गई। जो जमाबन्दी सम्वत 2012 में साल 11 काश्त दर्ज की हुई है। अतः वाद खारिज किया जाना उचित होगा व कस्टोडियन भूमि मानते हुए निर्धारित कीमत व शास्ति जमाकर खातेदारी दिया जाना उचित होगा।

पत्रावली का राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार शिविर / कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत ईन्दर दिनांक 21.06.2018 को पेश हुई। वादीगण के विद्वान वकील की बहस सुनी गई। वादीगण के विद्वान वकील ने अपनी बहस में दावे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि विवादित आराजी वादीगण के पिता व दादा घुटमल के नाम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से पूर्व से गैरखातेदारी की आराजी दर्ज रिकार्ड है। वादीगण के पिता व दादा का स्वर्गवास होने के पश्चात वादीगण अपने पिता व दादा के फुट स्टेप पर उपरोक्त आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है तथा अपने पिता व दादा के जीवनकाल से ही वादीगण का उपरोक्त आराजी पर बदस्तूर कब्जा चला आ रहा है। उक्त आराजी का विरासत इन्तकाल वादीगण के नाम दर्ज व स्वीकार हो चुका है। उक्त आराजी हाल राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम गैर खातेदारी दर्ज है। तथा मौके पर वादीगण का कब्जा काश्त है। उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में जमाबन्दी सम्वत 2012 में वादीगण के पिता व दादा घुटमल पुत्र नत्थु जाति चमार के नाम गैर मौरूसी साल 11 दर्ज है उसके बाद समस्त हाल राजस्व रिकार्ड में पूर्व में पिता व दादा घुटमल के नाम व उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी विरासत इन्तकाल से उक्त आराजी वादीगण के नाम गैरखातेदारी में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादीगण का अपने पिता व दादा के जीवनकाल करीब 50–60 सालों से गैरखातेदारी सम्वत 2012 में दर्ज होने व उसकी मृत्यु के पश्चात उक्त आराजी का विरासत इन्तकाल वादीगण के नाम दर्ज होने के कारण व उक्त आराजी वादीगण की कब्जे काश्त गैरखातेदारी की आराजी होने के कारण व साबिक रिकार्ड के अनुसार उक्त आराजी की खातेदारी अपने नाम प्राप्त करने के कानूनन अधिकारी है। इसलिए वादीगण उक्त आराजी के

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

हाल राजस्व रिकार्ड में से गैरखातेदार को कलमजन कराकर उसके स्थान पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी है।

पत्रावली का राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार शिविर / कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत ईन्दर दिनांक 21.06.2018 को अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं वादीगण के विद्वान वकील की बहस तथा पैरोकार सरकार के जवाब पर मनन किया। विवादित आराजी वादीगण के पिता दादा घुटमल के नाम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से पूर्व से गैरखातेदारी की आराजी दर्ज रिकार्ड है। जो साबिक रिकार्ड से स्पष्ट है। वादीगण के पिता व दादा का स्वर्गवास होने के पश्चात वादीगण अपने पिता के फुट स्टेप पर उपरोक्त आराजी पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है तथा अपने पिता के जीवनकाल से ही वादीगण का उपरोक्त आराजी पर बदस्तूर कब्जा चला आ रहा है। मौके पर आज भी वादीगण का कब्जा बदस्तूर है। लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहबन से उक्त आराजी हाल राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम गैर खातेदारी दर्ज कर दी है। जबकि उक्त विवादित आराजी वादीगण की मौरूसी जमीन है कस्टोडियन नही है। वादीगण के पिता व दादा के नाम गैरखातेदार दर्ज है व साबिक जमाबन्दी सम्वत 2012 में सरकार गैर खातेदार पटटेदार 11 साल दर्ज है। वादीगण का कब्जा काफी पुराना है। मौके पर वादीगण काश्त करते चले आ रहे है। ऐसी स्थिति में वादीगण उक्त आराजी के हाल राजस्व रिकार्ड में से गैरखातेदार को कलमजन कर उसके स्थान पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 104 रकबा 0.24, 105 रकबा 0.34, 306 रकबा 0.12, 307 रकबा 0.13 किता 4 रकबा 0.83 हैक्ट0 सम्पूर्ण व ख0 नं0 128 रकबा 0.21, 129 रकबा 0.27, 130 रकबा 0.26, 131 रकबा 0.26 हैक्ट0 किता 4 रकबा 1.00 हैक्ट0 का 1/2 हिस्सा वाके ग्राम सिरमौर तहसील रामगढ जिला अलवर का वादीगण को हाल राजस्व रिकार्ड में हाल खसरा नम्बर 104 रकबा 0.24, 105 रकबा 0.34, 306 रकबा 0.12, 307 रकबा 0.13 किता 4 रकबा 0.83 हैक्ट0 सम्पूर्ण में से वादी सं0 1 को 1/2 हिस्सा व वादी सं0 2 ला0 6 को 1/2 हिस्सा व खससरा नम्बर 128 रकबा 0.21, 129 रकबा 0.27, 130 रकबा 0.26, 131 रकबा 0.26 हैक्ट0 किता 4 रकबा 1.00 हैक्ट0 का 1/2 हिस्सा में से वादी सं0 1 को 1/4 हिस्सा व वादी सं0 2 ला0 6 को 1/4 हिस्से का काबिज काश्तकार खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि ताहाल राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार के स्थान पर खातेदार दर्ज करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। इसी प्रकार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत ग्राम पंचायत ईन्दपुर में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट ईन्दपुर)

पीठासीन अधिकारी : श्री बालकृष्ण तिवाडी आरएएस

दावा	तारीख रजू	तारीख निर्णय
1/156	04.09.2017	21.06.2018

उनवान

1. परभाती पुत्र घुटमल
2. रामदेई पत्नी गुलाब
3. सोनू पुत्र गुलाब
4. विनित पुत्र गुलाब
5. आरती पुत्री गुलाब
6. पूजा पुत्री गुलाब समस्त नाबालिग जर्ये खुद माता रामदेई पत्नी गुलाब जातियान जाटव निवासियान ग्राम सिरमौर तहसील रामगढ जिला अलवर।

.....वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब बहैसियत लैण्ड होल्डर तह0 रामगढ (अलवर)।

..... प्रतिवादी

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट)

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. .श्री सियाराम गुर्जर एडवोकेट– वादी
2. पैरोकार राजस्थान सरकार – प्रतिवादीगण

पर्चा डिक्री

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 104 रकबा 0.24, 105 रकबा 0.34, 306 रकबा 0.12, 307 रकबा 0.13 किता 4 रकबा 0.83 हैक्ट0 सम्पूर्ण व ख0 नं0 128 रकबा 0.21, 129 रकबा 0.27, 130 रकबा 0.26, 131 रकबा 0.26 हैक्ट0 किता 4 रकबा 1.00 हैक्ट0 का 1/2 हिस्सा वाके ग्राम सिरमौर तहसील रामगढ जिला अलवर का वादीगण को हाल राजस्व रिकार्ड में हाल खसरा नम्बर 104 रकबा 0.24, 105 रकबा 0.34, 306 रकबा 0.12, 307 रकबा 0.13 किता 4 रकबा 0.83 हैक्ट0 सम्पूर्ण में से वादी सं0 1 को 1/2 हिस्सा व वादी सं0 2 ला0 6 को 1/2 हिस्सा व खससरा नम्बर 128 रकबा 0.21, 129 रकबा 0.27, 130 रकबा 0.26, 131 रकबा 0.26 हैक्ट0 किता 4 रकबा 1.00 हैक्ट0 का 1/2 हिस्सा में से वादी सं0 1 को 1/4 हिस्सा व वादी सं0 2 ला0 6 को 1/4 हिस्से का काबिज काश्तकार खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि ताहाल राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार के स्थान पर खातेदार दर्ज करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 21.06.2018 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)